फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री कैलाशचन्द्र **विपक्षी : श्रीमती देउबाई**

किस्म मुकदमा – 75 भू.रा. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 06/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 28.12.2021 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प लोपडा में पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अपील स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। नामान्तरकरण सं. 612 का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि की अदला बदली करते हुए विनिमय पत्र सम्पादित करवाया जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम भूलवश 261/1240 हिस्से का अंकन कर दिया जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 का हिस्सा 12/310 होना था। इसलिए विनिमय पत्र के आधार पर अपीलान्ट सं. 1 से 3 के नाम 131/620 एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम 6/310 व रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम 26/310 हिस्से का अंकन किया जाने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की हैं जो अन्दर मयाद हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। उक्त नामान्तरकरण के अवलोकन से नामान्तरकरण ग्राम पंचायत लोपडा द्वारा दिनांक 04.09.2013 को पारित किया गया हैं। विनिमय पत्र के अवलोकन से विनिमय पत्र के अनुसार नामान्तकरण पारित करने में विधिक भूल की हैं। जिसे सुधारा जाना आवश्यक हैं। अतः उक्त अपील अपीलाण्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार की जाती है। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं, कि ग्राम पंचायत लोपडा द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 612 दिनांक 04.09.2013 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जांच करते हुए साक्ष्य गवाह बयान एवं विनिमय पत्र दिनांक 21.08.2013 के आधार पर नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। (मयंक मनीष I.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली Signature Not Verified	

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.21 11:08:58 IST
Reason: SelfAttested